


:: आदेश ::

राज्य सरकार के निर्देशानुसार जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण कोर्स सत्र 2009-10 के लिये निम्नांकित निजी नर्सिंग स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

क्र. सं.	नाम निजी नर्सिंग स्कूल	सत्र 2009-10 के लिये प्रवेश की स्थिति
1	सूर्याश नर्सिंग स्कूल, जयपुर	सत्र 2009-10 के लिये शत प्रतिशत सीटों के प्रवेश पर रोक
2	सोनी नर्सिंग स्कूल, जयपुर	सत्र 2009-10 के लिये शत प्रतिशत सीटों के प्रवेश पर रोक
3	श्रीमती फूला देवी मेमोरियल इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जयपुर	सत्र 2009-10 के लिये शत प्रतिशत सीटों के प्रवेश पर रोक
4	श्री विनायक इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जयपुर	सत्र 2009-10 के लिये शत प्रतिशत सीटों के प्रवेश पर रोक
5	संजीवनी इन्स्टीट्यूट ऑफ पेटा मेडीकल एवं नर्सिंग साइन्स, जयपुर	सत्र 2009-10 के लिये शत प्रतिशत सीटों के प्रवेश पर रोक
6	पिकसिटी स्कूल ऑफ नर्सिंग, जयपुर	सत्र 2009-10 के लिये शत प्रतिशत सीटों के प्रवेश पर रोक
7	जी. स्कूल ऑफ नर्सिंग, जयपुर	सत्र 2009-10 के लिये शत प्रतिशत सीटों पर राजकीय कोटे से प्रवेश।
8	इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडीकल टेक्नोलॉजी एण्ड नर्सिंग एजुकेशन, जयपुर	सत्र 2009-10 के लिये शत प्रतिशत सीटों पर राजकीय कोटे से प्रवेश।
9	जे.एल.एन. नर्सिंग इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जयपुर	सत्र 2009-10 के लिये शत प्रतिशत सीटों पर राजकीय कोटे से प्रवेश।
10	जाजू स्कूल ऑफ नर्सिंग, अजमेर	सत्र 2009-10 के लिये शत प्रतिशत सीटों पर राजकीय कोटे से प्रवेश।


(ओ. पी. गुप्ता),


अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान-जयपुर।

क्रमांक: प्रशिक्षण/जीएनएम/09/ 372

दिनांक: 25-8-09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान-जयपुर।
3. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान-जयपुर को उनकी टिप्पणी दिनांक: 24.8.09 के कम में लेख है कि कम संख्या 12 व 15 पर उल्लेखित संस्थान का नाम नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडीकल साइन्स, जयपुर C/o इण्डियन मेडीकल ट्रस्ट, जयपुर एक ही हैं, तथा कम संख्या 16 व 17 पर बी.एस.सी. कॉलेज ऑफ नर्सिंग हैं इन दोनों संस्थानों पर प्रवेश प्रक्रिया स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा सम्पादित की जानी है।
4. रजिस्ट्रार, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कॉंसिल, जयपुर।
6. अध्यक्ष, राजस्थान निजी नर्सिंग स्कूल फेडरेशन, जयपुर को पालनार्थ।
7. प्रभारी सर्वर कक्ष, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को अपलोड करने का श्रम करें।
8. सम्बन्धित निजी नर्सिंग स्कूल को पालनार्थ।
9. रक्षित पत्रावली।


(ओ. पी. गुप्ता),

अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें